प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान

संख्या 79/79/5-2003-57/2003

प्रेषक,

सत्यजीत ठाकुर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2003

विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या वेतन निर्धारण/7115-19/2002-2003 दिनांक 28 अगस्त, 2002 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के प्रस्तर (1) में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के नगर/ग्रामीण क्षेत्रों के चयन, वेतनमान पद धारक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई, के आधार पर पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये।

(2) चयन वेतनमान पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा एक ऐसे अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाय जिन्होंने चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

(3) किसी भी वर्ष 01 जुलाई को प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष विशेष में पूर्व से प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की संख्या चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसे कम न किया जाये किन्तु नये पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान तभी उपलब्ध कराया जाये जब चयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा में रिक्ति उपलब्ध हो। उदाहरण स्वरूप किसी सवर्ग विशेष में निम्न स्थिति हो सकती है –

वर्ष	चयन वेतनमान में पद धारकों की संख्या	प्रोन्नत वेतनमान हेतु अर्ह शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1996	1000	200	–
1997	800+100 नये शिक्षक =900	180	जिन्हें 1996 में प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य था उसे यथावत रखा जाय किन्तु किसी भी नये शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य न कराया जाय।
1998	900+200 नये शिक्षक = 1100	220	यदि 1996 के उपर्युक्त 200 शिक्षक अब भी प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो मात्र 20 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।
1999	880+250 नये शिक्षक =1130	226	यदि 1998 के उपर्युक्त 220 शिक्षकों को अब भी प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है तो मात्र 6 शिक्षकों का और प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु यदि प्रोन्नति वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु आदि के कारण से प्रोन्नत वेतनमान में रिक्ति होती है तो उस संख्या तक नये अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है

2. शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार अनुमन्य चयन/प्रोन्नत वेतनमान उन्हीं शिक्षकों को अनुमन्य होगा जो, दिनांक 1–7–2001 अथवा बाद की तिथि में सेवारत हों। अतः चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के निर्धारण हेतु संख्या की गणना में उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 1–7–2001 तथा उसके बाद की तिथियों में सेवारत रहे हों।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय सं० यू०ओ० वे०आ० 2–75/10–2003 दिनांक 18–2–2003 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह०/– सत्यजीत ठाकुर

सचिव।